E:\Sujata Summary Revision\HD Backup\id\id2003\f.no.020.doc

16

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282 फैक्स– 0755– 2555162ए

E-Mail : ceomp@mp.nic.in **Website; ceomadhyapradesh.nic.in**

फा. क्र. 20/95/परि.प./3/2690 भोपाल, दिनांक 24-4-2012

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
भोपाल, (मध्यप्रदेश)

विषयः न्यायालयीन प्रकरणों में महाधिवक्ता /शासकीय अधिवक्ता को फीस का भुगतान किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः कलेक्टर भोपाल का पत्र क्रमांक 243/निर्वाचन/2012 दिनांक 20.3.2012

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । आर्बिट्रेशन प्रकरण में अपील करने हेतु आपके द्वारा शासकीय अधिवक्ता को फीस की राशि दिये जाने के संबंध में आवंटन चाहा था । इस संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा दिया गया अभिमत इस प्रकार है :–

" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य आवंटन नियम के अध्याय इक्कीस भाग ई अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का कार्यालय विधि विभाग के अधिनस्थ आता है। उसकी ओर से पैरवी हेतु इस विभाग द्वारा महाधिवक्ता/अति. महाधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। मध्यप्रेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(अ)/2/95/21–ब(दो) दिनांक 15.11.2002 अनुसार महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता एवं अन्य शसकीय अधिवक्ताओं को निर्धारित मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) का भुगतान किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मामले में नियुक्त शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता को कोई अतिरिक्त एवं विशेष फीस का भुगतान किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत ना होगा " ।

कृपया उक्त दिये गये अभिमत के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें । साथ ही आर्बिट्रेशन प्रकरणों में शीघ्र अपील प्रस्तुत कराकर अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ।

24.4.12

(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

फा. क्र. 20/95/परि.प./3/269।

भोपाल, दिनांक 24.4.2012

प्रतिलिपि–

1. माननीय महाधिवक्ता, जबलपुर मध्यप्रदेश ।

2. श्री विवेक अग्रवाल, शा० अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रेश ।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त (कलेक्टर भोपाल को छोडकर) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित । कृपया न्यायालयीन प्रकरणों में फीस के संबंध में उक्त निर्देशों/अभिमत का पालन सुनिश्चित करें ।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, विदिशा एवं सीहोर को अग्रेषित । प्रकरण में शीघ्र अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें ।

(एस.एस. बंसल) 24.4.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्य प्रदेश